



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



9 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 46 राँची, सोमवार,

29 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-16/2023-24891(HRMS)-- श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-458(9)/रा०, दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-176(A)/स्था०, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अवैध तरीके से नामांतरण करने एवं भूमि सुधार न्यायालय, चक्रधरपुर द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

2. पुनः उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-102, दिनांक 31.08.2023 द्वारा श्री महतो को उनके पत्रांक-176(A), दिनांक 26.12.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर निलंबन की अनुशंसा की गई है ।

3. अतः श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री महतो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री महतो का मुख्यालय-आयुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में उनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	BAL KISHORE MAHTO (JHK/JAS/217)	श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।	07/11/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
